झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.01.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0	हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड मुख्यालय में पेयजल आपूर्ति के निर्माणाधीन योजना के विलम्ब से आमजनों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः उक्त योजना को शीघ्र पूरा कर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ ।	पेयजल एवं स्वच्छता
02	श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स0	सिमडेगा जिलान्तर्गत केरसई प्रखण्ड के जंगल पहाड़ो के बसा ठोठीजोर एवं रूघुडेरा ग्राम तक केरसई से गट्टीकच्छार होते हुए मकर घरा से ठोठीजोर जाने का रास्ता जंगलों से होकर है जो कि काफी उबड़-खाबड़ एवं दुर्गम है। यहाँ लगभग 140 घर है और इसके निवासियों को सरकार की कल्याणकारी योजाएँ जैसे उज्जवला योजना, पी0एम0आवास, आयुष्मान् भारत का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि इनका राशन कार्ड/बी0पी0एल0 कार्ड तक नहीं है। उक्त ग्राम तक सड़क की सुविधा नहीं रहने के कारण स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधों को जाने में काफी परेशानी है।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

01.	02.	03.	04.
		अतः सड़क बिजली की समुचित व्यवस्था करते हुए ग्रामीण जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ ।	
03-	श्री अशोक कुमार स0वि0स0 श्री अमित कुमार मंडल, स0वि0स0 ।	गोड्डा जिलान्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् निर्गत किये गए 17000 राशनकार्ड में परिवार के एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है, इसके लिये पिछले दिनों सरकार द्वारा राशनकार्ड में छूटे हुए परिवार के नामों को जोड़ने का आदेश विभाग को दी गई थी। परन्तु अभी तक छूटे हुए व्यक्तियों का नाम जोड़कर लाभुकों को राशनकार्ड नहीं दिया गया है । जिसके कारण उन गरीब परिवारो को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अभी तक समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही सैकड़ों अत्यंत गरीब परिवारों को सफेद राशनकार्ड दिया गया है, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिलता है। परन्तु बडी संख्या में सुखी संपन्न एवं नौकरी पेशा वाले परिवारों को लाल एवं पीला राशनकार्ड दिया गया है, जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। विभाग द्वारा वैसे संपन्न लोगों का राशनकार्ड कैंसिल करने की केवल खानापूर्ति की जा रही है। उक्त सभी विषयों का नियमानुसार संचालन एवं उसकी समीक्षा के लिये खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले की जिला एवं प्रखण्ड स्तर एक विशेष कमिटी होनी चाहिये, जो नियमित रूप से जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर बैठक कर उसकी समीक्षा कर सके। परन्तु गोड्डा जिला में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और ना ही सरकार द्वारा उसके लिये कोई निगरानी कमिटी का गठन किया गया है। जिसके कारण गोड्डा जिला में खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत संचालित योजना जमीनी स्तर पर विफल हो रहा है।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

01.	02.	03.	04.
		वस्तुतः राशनकार्ड बनाने में पूर्व से ही अनियमितता बरती गई है, एवं वर्तमान समय में भी जिला में कार्यरत प्राईवेट कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा अवैध वसूली निरंतर जारी है। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए राशनकार्ड में परिवार के छुटे हुए सदस्यों का नाम दर्ज कर लाभुकों को कार्ड वितरण कराने गरीबों को निर्गत किये गए सफेद कार्ड को कैसिल कर उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् राशनकार्ड निर्गत करने सुखी संपन्न लोगों का राशनकार्ड कैंसिल कर छूटे हुए वास्तविक लाभुकों को राशनकार्ड उपलब्ध कराने, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले की जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर निगरानी कमिटी बनाकर नियमित रूप से जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर उसकी समीक्षा कराने एवं शतप्रतिशत वास्तविक लाभुकों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।	
04-	श्री रबीन्द्र नाथ महतो स0वि0स0 श्री जगरनाथ महतो स0वि0स0 प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	राज्य के सभी सरकारी अस्पतालो में मरीजों का औसत काफी अधिक है ये सब मरीज इन अस्पतालों में बड़ी उम्मीद के साथ पहूँचते है लेकिन मरीजों का बेहतर ईलाज नहीं हो पाता है, कहीं संसाधनों की कमी है तो कहीं मरीजों को जरूरत के मुताबिक समुचित चिकित्सा नहीं मिल पाती है और सभी अस्पतालों में चिकित्सकों कि घोर कमी है। कहीं जाँच केन्द्र नहीं है और है भी तो पुरी उपकरण नहीं है। ऐसी स्थिति में गरीब तबके के मरीजों को काफी कठिनाई हो रही है। मामूली सी बिमारी होने पर भी अस्पताल में मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ्य नहीं हो पाते है तथा मरीजों को बाहर से ही दवा खरीदने पड़ते है। और कोई भी अस्पताल में स्वीकृत दवाई के अनुरूप दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और मरीजों की चिकित्सा सेवा में डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों का मरने का संख्या बढ़ती जा रही है।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		अतः मरीज सुरक्षा अधिनियम बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहतें है।	
05-	श्री भानु प्रताप शाही, स0वि0स0 श्री प्रकाश राम, स0वि0 श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स0वि0स0	एकीकृत बिहार एवं वर्त्तमान झारखण्ड में गढ़वा और पलामू जिला लगातार सुखाड़ एवं अकाल की चपेट में पड़ता आ रहा है, जबकि गढ़वा और पलामू जिलों में अनगिनत सदाबह नदियाँ है, इसके बावजुद इन नदियों के पानी को हम किसानों के खेत में सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे किसानों की माली हालत काफी खास्ता है तथा खेती नहीं होने के कारण किसान के साथ-साथ मजदूर भी पलायन के लिए विवश हैं। अतः गढ़वा और पलामू जिलों के किसानों के हित में जो दोनो जिलों के सभी नदियों के पानी को कैसे किसानों के खेत में पहूँचाया जाय, जिससे गढ़वा और पलामू में पड़ने वाले अकाल और सुखाड़ से भविष्य में निजात पायी जा सके । इस और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	जल संसाधन

राँची,
दिनांक- 21 जनवरी, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-....664..../वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/01/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/ खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विष्णु 19/01/19
(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-....664..../वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/01/19

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

विष्णु 19/01/19
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा, राँची।

मुण्डा/-

19/01/19